



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 2, गुरुवार, शाके 1938-जून 23, 2016
Asadha 2, Thursday, Saka 1938- June 23, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 6, 2016

संख्या प.23(2) चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :-गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 23(2)चिस्वा/ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 28-12-2015 को अतिक्रमित करते हुए, जिसके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम में संख्या 3 के लिये राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत के रूप में श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, वादकरण, शासन सचिवालय, जयपुर को मनोनीत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

147

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Digvijay
Arjun

कि. मा. भ. प. व. न. स. ए. म.
उप सचिव (सं.)
21/7/16